बंदी (मध्यप्रदेश संशोधन) अधधननयम, 1985(मध्यप्रदेश अधधननयम क्रम ◌ंक 10 सन् 1985)

1.संक्षिप्त नाम
2.मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिननयम, 1900 का सं. 3 का संशोि◌न3.नवीन भाग 6-क का स्थापन
4.भाग 6-क - बन्न्दयों को छुट्टी और आपात छुट्टी'
5.भाग 7 - ननवाासन के दण्डादेश के अिीन व्यन्तत
6.भाग 8 - बंददयों का उन्मोचन
7.भाग 9 - बंददयों की हान्ि◌री की अपेि◌ा करने और उनका साक्ष्य**प्र प्त करने से संबंधधत उपबंध**

बंदी (मध्यप्रदेश संशोधन) अधधननयम, 1985(मध्यप्रदेश अधधननयम क्रम ◌ंक 10 सन् 1985)

ददनांक 26 मई 1985 को राज्यपाल की अनुमनत प्राप्त हुई; अनुमनत "मध्यप्रदेश राि◌पत्र" (असाि◌ारण) में ददनांक 5 ि◌ून 1985 को प्रथमबार प्रकाशशत की गई ।

बन्दी अधिननयम, 1900 को मध्यप्रदेश राज्य में उसके लागू होने के सम्बन्ि◌ में और संशोधित करनेहेतु अधिननयम,

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्◌ा में मध्यप्रदेश ववािन मण्डल द्वारा ननम्नशलखित रूप में यहअधिननयशमत हो-

1. संक्षिप्त न म-इस अधिननयम का संक्षिप्त नाम बन्दी (मध्यप्रदेश संशोि◌न) अधिननयम, 1985 है।

2. मध्यप्रदेश र ज्य को ल गू हुए रूप में केन्द्रीय अधधननयम, 1900 क सं. 3 क संशोधन-मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में बन्दी अधिननयम, 1900(1900 का सं. 3) (ि◌ो इसमें इसके पश्चात् मूलअधिननयम के नाम से ननददाष्ट है) को उस रीनत में संशोधित ककया ि◌ाय ि◌ो इसमें इसके पश्चात् उपबन्द्ि◌त है।

3. नवीन भ ग 6-क क स्थ पन-मूल अधिननयम के भाग 6-क के स्थान पर ननम्नशलखित भागस्थावपत ककया ि◌ाय, अथाात्-

भ ग 6-क

'बन्न्दयों को छुट्टी और आप त छुट्टी'

ध र 31-क. बन्न्दयों को छुट्टी की मंजूरी -(1) राज्य सरकार या कोई ऐसा प्राधिकारी न्ि◌से राज्यसरकार इस ननशमत्त अपनी शन्ततयााँ प्रत्यायोन्ि◌त करे, ककसी ऐसे बन्दी को, न्ि◌से कम से कम तीन वर्◌ा कीअवधि के कारावास से दण्डाददष्ट ककया गया हो, एक वर्◌ा में[1]{बयालीस} ददन से अनधिक कालावधि कीछुट्टी, न्ि◌समें वह समय सन्म्मशलत नहीं होगा ि◌ो कारागार के प्रस्थान के ठीक पश्चात् उसके अभ्यागम केप्रथम स्थान तक की और अभ्यागम के अन्न्तम स्थान से कारागार तक वापसी की यात्राओं के शलए अपेक्षितहो इस भाग के उपबन्ि◌ो◌ं के और ऐसी शतो के ि◌ैसी की ववदहत की ि◌ाय, अिीन मंि◌ूर कर सकेगा । (2) उपिारा (1) के उपबन्ि◌ ककसी ऐसे बन्दी को लागू नहीं होंगे न्ि◌से कारागार अधिननयम,1894(1894 का सं. 9) के अिीन बनाए गए ननयमों के, ि◌ो तत्समय प्रवृत्त हों, प्रयोि◌न के शलए अभ्याशसकअपराि◌ी के रूप में वगीकृत ककया गया हो और न्ि◌से पूवा में तीन से अधिक बार शसद्ि◌दोर् ठहराया ि◌ा चुकाहो ।

(3) ककसी बन्दी को ककसी वर्◌ा के दौरान उपिारा (1) के अिीन छुट्टी-

(i) [2]{तीन} से अधिक अवसरों के शलए अनुज्ञेय नहीं होगी;

1. बन्दी (मध्यप्रदेश संशोि◌न) अधिननयम, 2012(2012 का 22) द्वारा (ददनांक 2-5-2012 से) शब्द इतकीस के स्थान पर प्रनतस्थावपत ।
2. बन्दी (मध्यप्रदेश संशोि◌न अधिननयम, 2012(2012 का 22) द्वारा (ददनांक 2-5-2012 से) शब्द "दो" के स्थान पर प्रनतस्थावपत ।

(ii) [1]{चौदह} ददन से कम की कालावधि के शलए अनुज्ञेय नहीं होगी; और

(iii) तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी ि◌ब तक कक उस वर्◌ा के दौरान ली गई अंनतम छुट्टी की समान्प्ततथा

आवेददत छुट्टी के प्रारम्भ होने के बीच तीन मास की कालावधि व्यपगत न हो गई हो ।

(4) ककसी बन्द्दी को उपिारा (1) के अिीन छुट्टी-

(क) तब तक मंिूर नहीं की िायेगी िब तक कक वह छुट्टी मंिूर ककए िाने के समय, अपनेदण्डादेश, न्िसके अन्द्तगात पररहार भी है, का आिा भाग या अपने दण्डादेश, न्िसके अन्द्तगात पररहार भीसन्म्मशलत है कम से कम दो वर्ा की कालावधि, इनमें से िो भी कम हो न काट चुका हो;

(ि) उस दशा में मंिूर नहीं की िावेगी िबकक आवेददत छुट्टी के प्रारम्भ होने की तारीि के पूवावतीबारह मास के दौरान उसे कारागार अधिननयम, 1894(1894 का सं. 9) की िारा 46 के अिीन ककसी कारागारअपराि के शलए दन्ण्डत ककया गया हो ।

(5) उपिारा (1) के अिीन ककसी बन्द्दी की छुट्टी की कालावधि की गणना उसके दण्डादेश की कुलकालावधि के लेिे की िाएगी ।

(6) ककसी बन्द्दी को उपिारा (1) के अिीन छुट्टी को मंिूरी का ननदेश देने वाला प्राधिकारी उससे यहअपेिा कर सकेगा कक वह ननदेश में ववननददाष्ट शतो के सम्यक् अनुपालन के शलए प्रनतभुओं सदहत या रदहत,बन्द्िपत्र शलिें ।

(7) यदद कोई बन्द्दी, न्िसे उपिारा (1) के अिीन छुट्टी मंिूर की गई है, उस शतो में से, िो उततउपिारा के अिीन या उसके द्वारा शलिे गये बन्द्िपत्र में उस पर अधिरोवपत की गई है, ककसी शता को पूराकरने में करता है तो बन्द्िपत्र समपहृत घोवर्त ककया िायेगा और कोई भी ऐसा व्यन्तत, उससे आबद्ि हो,उसकी शान्स्त का दायी होगा ।

(8) यदद ककसी बन्द्दी ने छुट्टी की शतो या बन्द्िपत्र शतो का अनतक्रमण ककया तो वह अपने दण्डादेशकी शेर् कालावधि के दौरान, उपिारा (1) के अिीन छुट्टी के शलए हकदार नहीं होगा ।

नोट – मध् यप्रदेश शासन ने बन्द् दी अधिननयम, 1900 को उसके लागू होने के संबंि में संशोधित करने हंतु एकसंशोधित अधिननयम िो कक (मध् य प्रदेश संशोिन) बन्द् दी अधिननयम 1985 के नाम से लागू ककया गया हैऔर न्िसे बन्द् दी अधिननयम, 1900 के भाग 6 के उपरान्द् त भाग 6-क के रूप में स् थावपत ककया गया है यहअधिननयम राज् य सरकार को बन्द्दयों को अल् प समय के शलए छुट्टी (पैरोल) पर मुत त करने के अधिकारप्रदान करता हे िारा 31-क के अनुसार ककसी भी बन्द् दीं को एक वर्ा में दो बार अधिकतम छुट्टी (पैरोल) शमलसकेगी । ककसी भी बन्द् दी को छुट्टी की पात्रता तभी होगी िबकक उसने अपनी सिा का ½ भाग या कम सेकम 2 वर्ा की सिा माफी सदहत भुगत ली हो लेककनयदद ½ भाग 2 वर्ा से कम है तो उतनी सिा भुगतनेके पश् चात् बन्द् दी छुट्टी का आवेदन प्रस् तुत करने के शलये पात्र होगा । उत त िारा बन्द् दी की छुट्टभ् की पात्रताके संबंि में यह भी शता लगाती है कक वह आपेदन प्रसतुत करने की नतधथ के 12 माह पूवा तक िेल कानूनके तहत दन्ण्डत नही ककया गया हो । िेल कानून से आशय कारागार अधिननयम 1894 से है और अपराि सेआशय िारा 46 में प्रस् ताववत दण् ड से है ।

िब भी ककसी बन्द् दी को उत त िारा के तहत छुट्टी मन्द् िूर की िावेगी तब ऐसी 2 छुट्टीयों में कम में कम से कम तीन माह का अन्द् तर रिा िायेगा और ऐसी कोई भी छुट्टी कम से कम 10 ददवस की अवधि सेअधिक होगी लेककन दोनों छुट्टीयों की सम् पूणा अवधि 21 ददन से अधिक नहीं होगी । इस प्रकार यदद कोईबन्द् दी एक अवसरपर 15 ददन की छुट्टी चाहता है तो दूसरे अवसर पर वह मात्र 6 ददवस की छुट्टी का हीहकदार होगा । यह िारा ऐसा कोई बन्द् िन नहीं करती हे कक छुट्टी की अवधि यदद बन्द् दी केवल एक छुट्टीलेता है तो अधिकतमअवधि 21 ददन होगी या कम लेककन िारा 31-क (1) का आशय यही है कक बन्द् दी एकवर्ा में अधिकतम 21 ददन की छुट्टी ले सकताहैचाहे वह एक अवसर पर प्राप् त करें या दो अवसरों पर ।

1.बन्द्दी (मध्यप्रदेश संशोिन) अधिननयम, 2012(2012 का 22) द्वारा (ददनांक 2-5-2012 से) शब्द "दस" के स्थान पर प्रनतस्थावपत ।

ध र 3 ख. आप त के आध र पर बंददयों को छुट्टी मंजूर करने की शन्तत-(1) 31- क में यातत्समय प्रवृत्त ककसी अन्द्य ववधि में अन्द्तववाष्ट ककसी प्रनतकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या कोईऐसा प्राधिकारी. न्िसे राज्य सरकार इस ननशमत्त अपनी शन्ततयााँ प्रत्यायोन्ित करे, ककसी ऐसे बन्द्दी को, िोिारा 31 क के अिीन छुट्टी की मंिूरी के शलये हकदार है पन्द्रह ददन से अनधिक कालावधि की आपातछुट्टी, न्िसमें वह समय सन्म्मशलत नहीं होगा िो कारागार से प्रस्थान के ठीक पश्चात उसके अभ्यागम केप्रथम स्थान तक की और उसके अभ्यागम के अन्न्द्तम स्थान से कारागार तक वापसी की यात्रा के शलयेअपेक्षित हो, ऐसी शतो के अिीन मंिूर कर सकेगा िो ववदहत की िायं, और वह छुट्टी को ककसी भी समयरह कर सकेगा ।

(2) ककसी बन्दी को उपिारा (1) के अिीन आपात छुट्टी, उसकी पत्नी या उसके पनत, पुत्र, पुत्री,वपता माता, भाई, बहन वपतामह या मातामह अथवा वपतामही और मातामही की मृत्यु हो िाने की दशा में याउसके स्वयं का या उसके पुत्र, पुत्री, भाई या बदहन का वववाह होने की दशा में मंिूर की िा सकेगी । (3) ककसी बंदी को उपिारा (1) के अिीन आपात छुट्टी मंिूरी का ननदेश देने वाला प्राधिकारी उससेयह अपेिा कर सकेगा कक यह ननदेश में ववननददाष्ट शतो के सम्यक् अनुपालन के शलए, प्रनतभुओं सदहत यारदहत, बन्िपत्र शलि,

(4) यदद कोई बंदी न्िसे उपिारा (1) के अिीन आपात छुट्टी मंिूर की गई है, उन शतो में से, िोउतत उपिारा के अिीन या उसके द्वारा शलि गये बंिपत्र में उस पर अधिरोवपत की गई है, ककसी शता कोपूरा करने में चूक करता है तो बन्िपत्र समपहृत घोववत ककया िायेगा और कोई भी ऐसा व्यन्तत, िो उससेआबद्ि हो, उसकी शान्स्त का दायीं होगा ।

(5) ककसी भी बंदी का उपिारा (1) के अिीन आपात छुट्टी मंिूर नहीं की िायेगी यदद आवेददतछुट्टी के प्रारंभ होने की तारीि के पूवावती बारह मास के दौरान, उसे कारागार अधिननयम, 1894(1894 कासं. 9) की िारा 46 के अिीन ककसी कारागार अपराि के शलये दन्ण्डत ककया गया हो|

(6) उपिारा (1) के अिीन छुट्टी का प्राधिकारपूवाक दावा नहीं ककया िा सकता ।

(7) उपिारा (1) के अिीन छुट्टी की कालावधि की गणना उसके दण्डादेश की कुल कालावधि के लेिेनहीं की िायेगी ।

नोट– िारा 31-ि की मंशा बंदी की पाररवाररक आपात न्स्थनत के आिार पर छुट्टी मंिूर करने की शन्ततशासन को प्रदान करने की है इस प्रकार यह िारा आपात छुट्टी मंिूर करने वाले प्राधिकारी को आपातन्स्थनत में छुट्टी मंिूर करने के असीशमत अधिकार प्रदान कर देती हे त योंकक न्िन शतो का होना बंदी कीपात्रता के शलये िारा 31-क में आवश् यक समझा गया है यह िारा उन शतो को मानने के शलये बाध् य नहींकरती है इस बात को इस प्रकार से भी देिा िा सकता है कक यह िारा सामान्द य छुट्टी की िारा से स् वयं कोअलग रिती है, लेककन साथ ही इस िारा में यह शता भी िोडी गई है आपात छुट्टभ् के न्िये ऐसा बंदी हीहकदार होगा िो िारा 31 के अिीन छुट्टी की मंिूरी के शलये पात्रता रिता हेइस प्रकार इस िारा के शलयेभी यह िरूरी हो िाता है कक बन्द् दी अपनी सिा का ½ भाग या कम से कम 2 वर्ा की सिा माफी सदहतभुगत चुका हो । यह िारा भी पात्रता के संबंि में यह शता लगाती है कक आवेदन प्रस् तुत करने कह नतधथ के12 माह पूवा तक बंदी द्वारा कारागार अधिननयम 1894 की िारा 46 के अिीन कोई अपराि नहीं ककया हो ।िब भी ककसी बंदी को आपात छुट्टी मंिूर करने की न्स्थनत उत् पन्द् न होती है तब मंिूर करने वाले प्राधिकारीका यह प्राथशमक दानयत् व होता है कक वह यह देिे कके बंदी ने अपनेन्िन ररश् तेदार के या ररश् तेदार के ववाहअथवा मृत् यु हेतु आपात छुट्टी चाही है वह ररश् तेदार उसके सगे ररश् तेदारकी श्रेणी में होने चादहये यहां यहदेिा िाना अनत आवश् यक हो िाता है कक स् वयं की पुत्री और भाई की पुत्री अथवा सगी बहन तथा चाचा कीलडकी के मध् य एक महत् वपूणा अन्द् तर होता है और कोई भी बंदी भाई की पुत्री को अपनी लडकीकहकर अथ् वाचाचा की लडकीको अपनी बहन कहकर उसके वववाह के अवसर पर छुट्टी का हकदार नहीं होगा । इस िारामें केवल दो अवसरों पर छुट्टी के शलए आवेदन ककया िा सकता है ।

प्रथम– बंदी की छुट्टी उसकी स् वयं की पत् नी अथवा उसके पनत, पुत्र, पुत्री, वपता, माता, भाई, बहन वपता के वपता या वपता की माता की मृत् यु हो िसने की दशा में

द्ववतीय– बंदी की छुट्टी उसके स् वंय के या उसके पुत्र, पुत्री, भाई या बहन क वववाह की दशा में,

परन्द् तु कोई भी बंदी इस िारा के अन्द् तगात इस छुट्टी के शलये अधिकार पूवाक दावानहीं कर सकताऔर न ही इस छुट्टी के ककसी आदेश के ववरूद्ि कोई याधचका प्रस् तुत कर सकता है सामान्द य छुट्टी एवंआपात छुट्टी के बीच ककतने मास का अंतराल होना चादहये तथा एक वर्ा में कुल ककतनी आपाि छुट्टी बंदीको प्राप् त हो सकेगी इस प्रश् न के उत् तर में यह समझना अनत आवश् यक है कक आपात छुट्टी उपरोत ता दोनोअवसरों में से ककसी के भी होने पर मंिूरकी िाना चादहए और इसके शलए तीन माह के अन्द् तराल कीआवश् यकता नहीं रह िाती है यदद तीन माह के बीच ककसी बंदी के पररवार में एक से अधिक वववाह हो तोउसे उन सभी वववाहों में यदद वह उसके पुत्र-पुत्री, भाई या बहन के होता यह सभी के शलये अलग-अलगआवेदन प्रस् तुत करने का हकदार होगा । िैसा कक नाम से ही स् पष् ट है आपात कभी भी उपन्स्थत हो सकताहै इसशलए ववान ननमााताओं ने इस िारा में ऐसी कोई शता नहीं लगाई है िैसी के िारा 31-क के उपननयम3 में लगाई गई है । इस िारा में केवल यह शता आवश् यक है कक ककसी भी बंदी को 15 ददन से अधिक कीआपात छुट्टी नहीं दी िायेगी ।

ध र 3 ग. छुट्टी की क ल वधध के पश्च त् बन्दी क प्रस्तुत होन -(1) उस कालावधि का न्िसकेशलए

ककसी बन्दी को ि◌ारा 31- क की उपिारा 1 के िअीन छुट्टी पर या ि◌ारा 31- ि◌ की उपिारा (1) केिअीन आपात छुट्टी पर छोड़ा गया था, अवसान हो ि◌ाने पर, वह बंदी अपने को उस कारागार के भारसाि◌क अधिकारी के समि प्रस्तुत करेगा ि◌हां से उसे छोड़ा गया था।

(2) यदद कोई बन्दी उपिारा (1) द्वारा अपेक्षित ककये गये अनुसार अपने को प्रस्तुत नहीं करता है तोउसे ककसी पुशलस अधिकारी द्वारा वारन्ट्ट के बबना धगरफ्तार ककया ि◌ा सकेगा और अपने दण्डादेश केअनवशसत भाग की सिा भुगतने के शलये प्रनतप्रेवर्त ककया ि◌ायेगा।

ध र 31- घ. श न्स्त-कोई बंदी, ि◌ो ि◌ारा 31 ग की उपिारा (1) द्वारा अपेक्षित ककये गये अनुसारअपने को प्रस्तुत नहीं करेगा, वह दोर्शसद्धि पर दोनों में से ककसी भांनत के कारावास से न्ि◌सकी अवधि दोवर्◌ा तक की हो सकेगी, या ि◌ुमााने से. या दोनों से, दण्डनीय होगा।

ध र 31 –ड. ननयम बन ने की शन्तत-(1) राज्य सरकार इस भाग के प्रयोि◌नों को कायाान्न्वत करनेके शलये ननयम बना सकेगी।

(2) ववशशष्टतयां और पूवागामी शन्तत की व्यापकता पर प्रनतकूल प्रभाव डाले बबना, ऐसे ननयमों मेंननम्नशलखित समस्त ववर्यों या उनमें से ककसी ववर्य के शलये उपबंि◌ हो सकेंगे, अथाात्:-

(क) बंददयों को छुट्टी या आपात छुट्टी की मंि◌ूरी के शलये कायावादहयों के संबंि◌ में अनुसरण कीि◌ाने वाली प्रकक्रया;

(ि◌) बंददयों की ि◌ारा 31- क की उपिारा (1) के िअीन छुट्टी या ि◌ारा 31- ि◌ की उपिारा (1) केिअीन आपात छुट्टी की मंि◌ूरी के शलये शते न्ि◌सके अन्ट्तगात ऐसी छुट्टी की कालावधि के दौरान पयावेि◌णके शलये शते भी आती है;

(ग) छुट्टी की कालावधि के दौरान बंददयों के शलये यात्रा भत्ते;

(घ) छुट्टी की कालावधि के दौरान बंददयों के आने-ि◌ाने पर ननबान्ट्ि◌न; और

(ड) छुट्टी की शतो का अनतक्रमण ककया ि◌ाने की दशा में छुट्टी और आपात छुट्टी का रह ककयाि◌ाना या बंि◌पत्र का समपहरण।

भ ग 7

ननव ◌ासन के दण्ड देश के अधीन

व्यन्तत

ध र 32. ननव ◌ासन के दण्ड देश के अधीन व्यन्ततयों को ननरूद्ध रखने के स्थ नों क ननयत ककयज न और उन्ट्हें वह ◌ं भेज ज न -(1) राज्य सरकार राज्य के भीतर ऐसे स्थान ननयत कर सकेगी ि◌हांननवाासन के शलए दण्डाददष्ट व्यन्ततयों को भेि◌ा ि◌ाएगा; और राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इसननशमत्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी उन व्यन्ततयों को इस प्रकार ननयत स्थानों को भेि◌ने काआदेश या उस दशा के शसवाय देगा ि◌ब ननवाासन का दण्डादेश ककसी ऐसे व्यन्तत को ददया गया हो ि◌ो ककसीअन्ट्य अपराि◌ के शलए उसके पहले से पाररत ककसी दण्डादेश के िअीन ननवाासन पहले से ही भुगत रहा हो। (2) ऐसी ककसी दशा में, न्ि◌समें राज्य सरकार उपिारा (1) के िअीन राज्य के भीतर स्थान ननयतकरने और ननवाासन के शलए दण्डाददष्ट व्यन्ततयों को हटा कर वहााँ भेि◌ने का आदेश देने के शलए सिम है,राज्य सरकार ककसी अन्ट्य राज्य की राज्य सरकार के साथ करार के उस राज्य में ऐसे स्थान ननयत कर

सकेगी, और वैसे ही करार द्वारा उन व्यन्ततयों को वहां हटाने के आदेश दे सकेगी या आदेश देने के शलए ककसी अधिकारी को सम्यक् रूप से प्राधिकृत कर सकेगी।

भ ग 8

बंददयों क

उन्ट्मोचन

ध र 33. ऐसे बन्दी क , न्जसे ि◌म करने की ससफ ररश की गई है. उच्च न्ट्य य लय के आदेश सेमुचलके पर छोड़ ज न -कोई उच्च न्ट्यायालय ककसी ऐसी दशा में, न्ि◌समें ककसी बन्दी को मुतत, ि◌मा करनेकी शसफाररश सरकार से की है, उसे उसके ही मुचलके पर छोड़ देने की अनुज्ञा दे सकेगा।

भ ग 9
बंददयों की ह न्जरी की अपेि करने और उनक स क्ष्य प्र प्त करने से संबंधधत उपबंध

ध र 34 .-52बन्दी (न्यायालयों में उपन्स्थनत) अधिननयम, 1955(1955 का अधिननयम सं. 32) कीिारा 10 द्वारा ननरशसत ।

ध र 53.ननरसन ररपीशलंग एण्ड अमेंडडग ऐतट, 1914(1914 का अधिननयम सं. 10) की िारा 3तथा अनुसूची 2 द्वारा ननरशसत ।

first schedule

बन्दी (न्यायालयों में उपन्स्थनत अधिननयम, 1955 (1955 का अधिननयम सं. 32) द्वारा ननरशसत ।द्ववतीय अनुसूची

बन्दी (न्यायालयों में उपन्स्थनत) अधिननयम, 1955 (1955 का अधिननयम सं. 32) द्वारा ननरशसत ।तृतीय अनुसूची

ररपीशलंग एण्ड अमेडडंग एतट, 1914 (1914 का अधिननयम सं. 10) की िारा 3 तथा अनुसूची 2द्वारा ननरशसत ।